आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य तथा
श्री भागीरथ मल बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 623/इंदौर/2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्री धरम चंद्र कोठारी प्रो.मे.श्री नागेश्वर ट्रेडिंग कं. आगर मालवा	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एडीबीपीके 7772 पी		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित आवेदन
राजस्व की ओर से	कोई नहीं
सुनवाई तिथि	24.08.2022
उद्घोषणा तिथि	30.08.2022

आदेश

श्री भागीरथ मल बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त, उज्जैन के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के अधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर अधिकारी, आगर मालवा द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 17.08.2016 से उद्भूत है ।

2. इस अपील के संबंध में, निर्धारिती के द्वारा आवेदन दिनांक 23.08.2022 दाखिल किया गया हैं जिसमें यह निवेदन किया गया है कि विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण कार्यवाही का पुनःपरीक्षण पूर्ण करके धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अधीन आदेश पारित किया जा चुका है। इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए निर्धारिती ने यह अपील दाखिल की

थी, उसकी पूर्ति हो गई है और अतः ऊपर उल्लिखित अपील की कोई प्रासंगिकता नहीं है । अतः निर्धारिती द्वारा वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है । विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 30.08.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(सुचित्रा आर. कांबले)	(भागीरथ मल बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 30.08.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल